# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA115 Khetsingh n ors Vs Abhesingh etc

1. खेतसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत
2. मदनसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत
3. रावलसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत
4. लेरकंवर पत्नी प्रेमसिंह राजपूत
5. सवाईसिंह पुत्र हनवन्तसिंह राजपूत
6. रावलसिंह पुत्र हनवन्तसिंह राजपूत
7. मीरोकंवर पत्नी हनवन्तसिंह राजपूत
   निवासीगण लूम्बासर, तहसील शेरगढ
   जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. अभेसिंह पुत्र जवारसिंह राजपूत
   निवासी लूम्बासर, तहसील शेरगढ
   जिला जोधपुर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर शेरगढ दिनांक 30 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 25/2019 अभेसिंह बनाम खेतसिंह आदि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री ओमप्रकाश बूब, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

## नि र्ण य

दिनांक : 22 नवम्बर 2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 25/2019 अभेसिंह बनाम खेतसिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 30 अगस्त 2019 के खिलाफ यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 02 सितम्बर 2019 को प्रस्तुत की गयी है।

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक ने ग्राम लूम्बासर पटवार क्षेत्र सुवालिया तहसील शेरगढ स्थित आराजी खसरा संख्या 669 रकबा 68 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा संख्या 733 रकबा 26 बीघा पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजियात बताते हुए खसरा संख्या 733 रकबा 26 बीघा के संबंध में पक्षकारान के मध्य विवाद होना जाहिर किया और मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अविभाजित आराजियात पर जबरन निर्माण कार्य कराये जाने एवं प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा होना बताते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया। दिनांक 27 अगस्त 2019 को उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्ते जबाव आईन्दा तारीख पेशी, 30 अगस्त 2019 मुकर्रर की गयी। उक्त दिनांक 30 अगस्त 2019 को अधिवक्ता-अप्रार्थीगण संख्या एक से पांच की ओर से जबाव प्रार्थनापत्र पेश किया गया तथा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश कर विनोदकंवर पत्नी मदनसिंह राजपूत, निवासी लूम्बासर, ग्राम विकास अधिकारी सुवालिया, विकास अधिकारी, पंचायत समिति शेरगढ को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए वादग्रस्त खसरे बाबत मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकारान को पाबन्द कर दिया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि मौके पर वास्तव में कोई विवाद ही नहीं है। पक्षकारान मौके पर आपसी सहमति से अपने-अपने हिस्से अनुसार अलग-अलग काबिज काश्त है, पैतृक ढाणी अपीलाण्ट मदनसिंह की बनी हुई है, पुरानी ढाणी को हटाकर आवास निर्माण हेतु प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत विनोद कंवर पत्नी मदनसिंह के नाम राशि स्वीकृति होने से उक्त पुरानी ढाणी हटा कर रहवासीय निर्माणाधीन पक्का मकान बनाने से न तो वादग्रस्त आराजी का कृषि स्वरूप बदलता है और न ही किसी को कोई असुविधा या अपूरणीय क्षति होती है। इसके विपरीत सरकारी योजना से विनोदकवंर पत्नी मदनसिंह द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, वह लगभग पूर्ण हो चुका है और मात्र पट्टिया रखी जानी शेष है, ऐसी स्थिति में अब इस स्तर पर काम रूकवाया जाने से अपीलाण्ट को गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति होना निश्चित है क्योंकि प्रधानमन्त्री आवास योजना का आवास निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाण्ट्स संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कराये बिना भू-भाग विशेष पर पक्का निर्माण कार्य कर रहे है, जो प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया है, उस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया, अपितु उक्त प्रार्थनापत्र के जबाब हेतु आईन्दा पेशी 4 अक्तूबर 2019 रखी गयी, तब तक के लिए अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स के अनुसार वादग्रस्त खसरा में कोई नया निर्माण नहीं किया जा रहा है, अपितु सरकारी योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त होने पर पुराणी ढाणी के स्थान पर नया पक्का रहवासीय निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अपीलाण्ट्स के इस कथन की पुष्टि अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत Beneficiary Details के कागजात से होती है, जिनमें प्रधानमन्त्री आवास योजना के लाभार्थी के रूप में नाम विनोद कंवर (आरजे 2881348), नरेगा जॉब कार्ड संख्या आरजे 271500933701980400/9292284-ए दर्ज है। हाउस स्टेट में एक्जिस्टिंग साईट में पुराना मकान तथा प्रपोज्ड साइट में प्रस्तावित मकान दर्शाया गया है। इसी क्रम में जो निर्माणाधीन मकान के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये है, उनसे अपीलाण्ट के इस कथन की भी प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है कि रहवासीय आवास का छत का काम बाकी रहा है, जिसे रोका जाने से मात्र अपीलाण्ट्स को ही गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति होगी, कार्य पूर्ण होने से अन्य सहखातेदारान को कोई अपूरणीय क्षति अथवा किसी प्रकार की कोई असुविधा होने की सम्भावना नहीं है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा की राय में अपीलाण्ट्स द्वारा प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत प्राप्त सरकारी सहायता से किया जा रहा रहवासीय निर्माण कार्य यदि अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये रूकवाया जाता है तो इस बात की पूर्ण सम्भावना है कि छत के अभाव में अपीलाण्ट्स को खुले आसमान के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नीचे सोना पडे। इसके विपरीत जितनी भूमि निर्माण कार्य में प्रयुक्त होनी थी, वह तो प्रयुक्त हो चुकी है, अब अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं है इस कारण व्यर्थ में निर्माण कार्य बीच में रोका जाने का औचित्य नजर नहीं आता है। प्रधानमन्त्री आवास योजना में स्वीकृत आवास को निर्धारित अवधि में पूरा कराना भी अनिवार्य है।

उल्लेखनीय है कि स्वंय रेस्पो.-प्रार्थी भी अपनी रहवासीय ढाणी, जो दिनांक 22 फरवरी 2018 को प्राकृतिक अग्नि कांड से नष्ट हो जाने पर अदालत हाजा से इस प्रकरण संख्या 43/2019 अभसिंह बनाम सवाईसिह आदि में इस प्रकार का समान अनुतोष खसरा संख्या 734 में निर्माण की अनुमति हेतु अंतरिम आदेश दिनांक 13 मई 2019 के जरिये प्राप्त कर चुका है।

उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तथा अपीलाण्ट्स को प्रधानमन्त्री आवास योजना में स्वीकृत आवास के निर्माण कार्य करने की छूट देने की सीमा तक अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर